अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मेसल नं. | तारीख दायरा | तारीख फैसला

08/22 | 4.02.2022 | 13.05.2023

बउनवान

1. रामदयाल पुत्र किशना उर्फ किशनलाल
2. बादाम पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
3. रामकन्या पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
4. कमला पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
5. चन्द्रकला पुत्री किशना उर्फ किशनलाल जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारा हाल निवास बडौद तह0 दीगोद जिला कोटा राज0
6. श्रवणलाल माता गेंदी वाई पुत्र श्योबक्श
7. मुकुट माता गेंदी वाई पुत्री श्योबक्श
8. रामप्यारी माता गेंदी वाई पुत्री श्योबक्श
9. चमेली माता गेंदी वाई पुत्री श्योबक्श
10. रूकमणी माता गेंदी वाई पुत्री श्योबक्श जातियान बैरवा निवासीगण मुगैंना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादीगण

वनाम

1. नेमीचन्द पुत्र गेंदीलाल
2. डाली पुत्री गेंदीलाल
3. दयाल पुत्री गेंदीलाल
4. द्रोपदी पुत्री गेंदीलाल
5. नटी पुत्री गेंदीलाल
6. कस्तुरी पत्नी गेंदीलाल जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारां निवास गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. गैारीशंकर पुत्र नारायण
8. बालाराम पुत्र नारायण
9. रामप्रताप पुत्र नारायण
10. लटूरी पुत्री नारायण
11. कांति पुत्री नारायण
12. लक्ष्मण पुत्र औंकार जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट</u>

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

निर्णय

यह कि वाके ग्राम अयाना पटवार मण्डल अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2058–61 की खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 कृषि आराजी वीगण 1 से लगायत 5 के पिता किशना पुत्र भैंरू वादीगण 6 से लगायत 10 की माता गेंदी बाई पुत्री भैंरू व प्रतिवादी क्रम 1 से लगायत 6 तथा प्रतिवादी क्रम 7 से लगायत 11 के पिता नारायण पुत्र भैंरू तथा प्रतिवादी क्रम 12 लक्ष्मण पुत्र औंकार का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है और वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सानुसार वर्णित आराजी पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक रूप से चले आ रहे हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से लगायत 11 का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है।

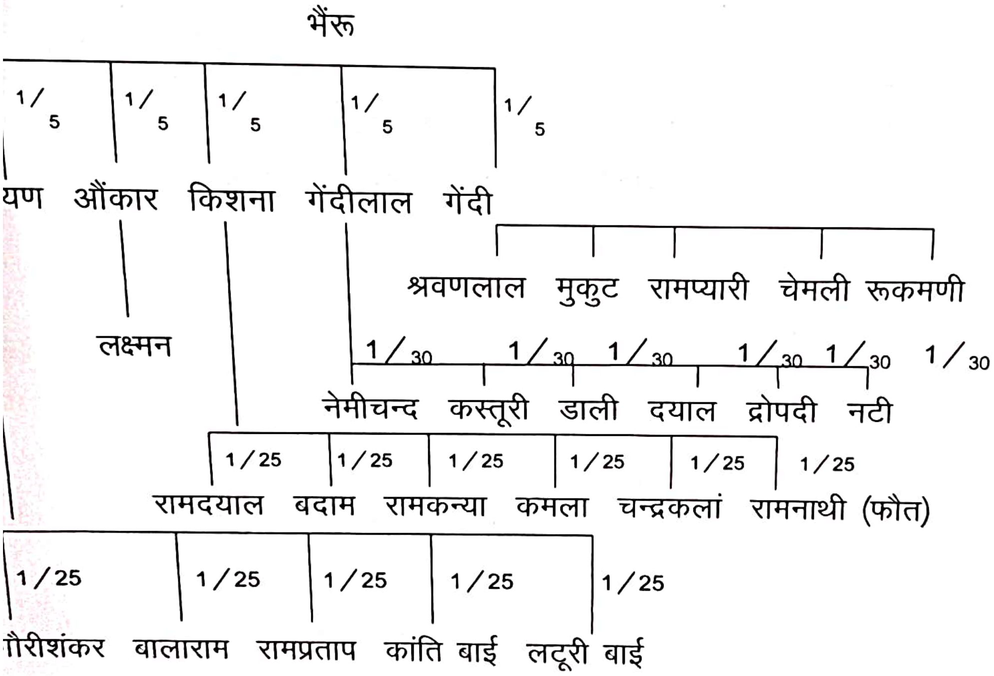

यह कि प्रतिवादी क्रम 13 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हलका पटवारी द्वारा नवीन जमाबंदी संवत 2074–77 बनाते समय वादीगण 1 ता 5 के पिता किशना पुत्र भैंरू का नाम खाते से विलोपित कर दिया गया तथा वादी क्रम 6 से लगायत 10 की मां गेंदी बाई पुत्री भैंरू के पिता का नाम औंकार दर्ज कर दिया गया जो गलत किया गया है। जबकि मृतक किशना पुत्र भैंरू पूर्व की जमाबंदियों में तनहा खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा घोर त्रुटि करते हुए नवीन जमाबंदी सवंत 2074–77

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे।

प्रतिवादी कम 1,2,3,5,6,7,8,9/1 ता 9/5, 10, 11/1, 12 निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत करते हैः–

यह कि ग्राम अयाना की खसरा नम्बर 371 रकबा 3.73 है0 कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2058–61 में दर्ज है, जिसमें वादीगण 1 ता 5 (रामदयाल पुत्र बादाम, रामकन्या, कमला, चन्द्रकला पुत्रियां) के पिता किशना पुत्र भैंरू का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 6 ता 10 (श्रवणलाल, मुकुट पुत्रान रामप्यारी, चमेली, रूकमणी पुत्रियां) की माता गेंदी बाई का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 ता 6 (नेमीचंद पुत्र डाली, दयाल, द्रोपदी, नटी पुत्रियां कस्तूरी बेवा) का 1/5 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा व प्रतिवादी कम 7 ता 11 (गौरीशंकर, बालाराम, रामप्रताप, लटूरी, कांति) के पिता नारायण का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 11 लक्ष्मण पुत्र औंकार का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक सजरा स्वीकार है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 4, 5, 6, 7 स्वीकार है।

<u>विशेष कथन</u>

ग्राम अयाना की खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 कृषि आराजी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी में वादीगण 1 ता 5 (रामदयाल पुत्र, बादाम, रामकन्या, कमला, चन्द्रकला पुत्रियां) को मृतक किशना उर्फ किशनलाल के स्थान पर प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

यह कि ग्राम अयाना के खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 कृषि आराजी में वादीगण 6 ता 10 की माता गेंदी बाई के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण (श्रवणलाल, मुकुट पुत्रान रामप्यारी, चमेली, रूकमणी पुत्रियां) प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावें।

यह कि प्रतिवादी कम 1 ता 6 (नेमीचंद पुत्र डाली, दयाल, द्रोपदी, नटी पुत्रियां कस्तूरी बेवा) प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित आराजी में दर्ज हिस्सा 1/30–1/30 यथावत रखा जावे।

यह कि ग्राम अयाना के खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी कम 7 से लगायत 11 (गौरीशंकर, बालाराम, रामप्रताप,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

लटूरी, कांति) का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रत्येक का 2/25–2/25 हिस्से को दुरूस्त किया जाकर प्रत्येक का 1/25–1/25 हिस्सा वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

यह कि प्रतिवादी क्रम 9 रामप्रताप पुत्र नारायण फौत हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 9/1 ता 9/5 (चौथमल, कन्हैयालाल, महावीर पुत्रान अनिता बाई पुत्री अनोख बाई पत्नी) को मृतक रामप्रताप के 1/25 हिस्से पर अर्थात प्रत्येक को 1/125 –1/125 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे।

यह कि प्रतिवादी क्रम 11 कांति उर्फ चन्द्रकला फौत हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी क्रम 11/1 जगदीश को 1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे।

यह कि प्रतिवादी क्रम 12 लक्ष्मण पुत्र औंकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जावे।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जवाब श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण आज दिनांक 13.05.2023 को लोक अदालत में पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के रूप में राजीनामा प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। लोक अदालत की भावना से राजीनामा स्वीकार कर वाद स्वीकार कर निर्णित किया गया।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अयाना की खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 कृषि आराजी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी में वादीगण 1 ता 5 (रामदयाल पुत्र, बादाम, रामकन्या, कमला, चन्द्रकला पुत्रियां) को मृतक किशना उर्फ किशनलाल के स्थान पर प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। वादीगण 6 ता 10 की माता गेंदी बाई के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण (श्रवणलाल, मुकुट पुत्रान रामप्यारी, चमेली, रूकमणी पुत्रियां) प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 (नेमीचंद पुत्र डाली, दयाल, द्रोपदी, नटी पुत्रियां कस्तूरी बेवा) प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित आराजी में दर्ज हिस्सा 1/30–1/30 यथावत रखा जावे। वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी क्रम 7 से लगायत 11 (गौरीशंकर, बालाराम, रामप्रताप, लटूरी, कांति) का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रत्येक का 2/25–2/25 हिस्से को दुरूस्त किया जाकर प्रत्येक का 1/25–1/25 हिस्सा वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी कम 9 रामप्रताप पुत्र नारायण फौत हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी कम 9/1 ता 9/5 (चौथमल, कन्हैयालाल, महावीर पुत्रान अनिता वाई पुत्री अनोख बाई पत्नी) को मृतक रामप्रताप के 1/25 हिस्से पर अर्थात प्रत्येक को 1/125 –1/125 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी कम 11 कांति उर्फ चन्द्रकला फौत हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी कम 11/1 जगदीश को 1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी कम 12 लक्ष्मण पुत्र औंकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जावे।

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

सीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1. रामदयाल पुत्र किशना उर्फ किशनलाल
2. बादाम पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
3. रामकन्या पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
4. कमला पुत्री किशना उर्फ किशनलाल
5. चन्द्रकला पुत्री किशना उर्फ किशनलाल जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारा हाल निवास बडौद तह0 दीगोद जिला कोटा राज0
6. श्रवणलाल माता गेंदी बाई पुत्र श्योबक्श
7. मुकुट माता गेंदी बाई पुत्री श्योबक्श
8. रामप्यारी माता गेंदी बाई पुत्री श्योबक्श
9. चमेली माता गेंदी बाई पुत्री श्योबक्श
10. रूकमणी माता गेंदी बाई पुत्री श्योबक्श जातियान बैरवा निवासीगण मुगैंना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादीगण

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र गेंदीलाल
2. डाली पुत्री गेंदीलाल
3. दयाल पुत्री गेंदीलाल
4. द्रोपदी पुत्री गेंदीलाल
5. नटी पुत्री गेंदीलाल
6. कस्तुरी पत्नी गेंदीलाल जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारां निवास गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. गैारीशंकर पुत्र नारायण
8. बालाराम पुत्र नारायण
9. रामप्रताप पुत्र नारायण
10. लटूरी पुत्री नारायण
11. कांति पुत्री नारायण
12. लक्ष्मण पुत्र औंकार जातियान बैरवा निवासीगण माल बम्बोरी तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अयाना की खसरा नं0 371 रकबा 3.73 है0 कृषि आराजी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी में वादीगण 1 ता 5 (रामदयाल पुत्र, बादाम, रामकन्या, कमला, चन्द्रकला पुत्रियां) को मृतक किशना उर्फ किशनलाल के स्थान पर प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। वादीगण 6 ता 10 की माता गेंदी बाई के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण (श्रवणलाल, मुकुट पुत्रान रामप्यारी, चमेली, रूकमणी पुत्रियां) प्रत्येक को 1/25–1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 (नेमीचंद पुत्र डाली, दयाल, द्रोपदी, नटी पुत्रियां कस्तूरी बेवा) प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित आराजी में दर्ज हिस्सा 1/30–1/30 यथावत रखा जावे। वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी क्रम 7 से लगायत 11 (गौरीशंकर, बालाराम, रामप्रताप, लटूरी, कांति) का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रत्येक का 2/25–2/25 हिस्से को दुरूस्त किया जाकर प्रत्येक का 1/25–1/25 हिस्सा वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 9 रामप्रताप पुत्र नारायण फौत हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 9/1 ता 9/5 (चौथमल, कन्हैयालाल, महावीर पुत्रान अनिता बाई पुत्री अनोख बाई पत्नी) को मृतक रामप्रताप के 1/25 हिस्से पर अर्थात प्रत्येक को 1/125 –1/125 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 11 कांति उर्फ चन्द्रकला फौत हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी क्रम 11/1 जगदीश को 1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 12 लक्ष्मण पुत्र औंकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जावे।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बावत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा